



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1690-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2015-01/2014

दिनांक: 24 जुलाई, 2015

1. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II),
2. समस्त महाप्रबन्धक/उप-महाप्रबन्धक/उप-मुख्यलेखाधिकारी,
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/समस्त अधिशासी अभियन्ता,  
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

विषय: स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता (Local Out Duty Allowance) की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती परिषदादेश सं०-1693-पी/राविप-तीस-77पी/1986 दिनांक 11 नवम्बर, 1988, सं०-2034-पी/रा०वि०प०-30-75पी/86 दिनांक 31.12.1988 एवं सं०-276-पी/रा०वि०प०-तीस-35पी/86 दिनांक 12.03.1992 द्वारा निर्गत आदेशों का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता की अनुमन्यता निम्नवत् प्रदान की गई थी:-

क्रम सं०	वर्ग	लखनऊ में	अन्य महानगर बरेली और मेरठ को सम्मिलित करते हुए।	अन्य जिला मुख्यालय में।
1.	अधिशासी अभियन्ता के वेतनमान में या उनके समकक्ष व उससे उच्च निजी वाहन मोटर कार रखने वाले अधिकारी	रु० 560/- प्रतिमाह	रु० 480/- प्रतिमाह	रु० 360/- प्रतिमाह
2.	निजी स्कूटर/मोटर साईकिल/ मोपेड आदि रखने वाले अधिकारी/ अवर अभियन्ता	रु० 200/- प्रतिमाह	रु० 200/- प्रतिमाह गोरखपुर, मुरादाबाद सहित उपरोक्त शहर	रु० 160/- प्रतिमाह
3.	परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड रखने वाले अराजपत्रित कर्मिकों को	रु० 200/- प्रतिमाह	---	---

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश है कि कारपोरेशन के निदेशक मण्डल के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थानीय बहिर्गमन भत्ता/वाहन भत्ता की संशोधित दरें निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम सं०	वर्ग	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें।
1.	अधिशासी अभियन्ता पद या उसके समकक्ष व उससे उच्च ग्रेड-वेतन के निजी वाहन मोटर कार आदि रखने वाले अधिकारी	रु० 1600/- प्रतिमाह
2. (अ)	- निजी स्कूटर/मोटर साईकिल आदि रखने वाले अधिकारी/अवर अभियन्ता	रु० 700/- प्रतिमाह
(ब)	- मोपेड रखने वाले	रु० 300/- प्रतिमाह
3. (अ)	- परिषद सचिवालय एवं केन्द्रीय लेखा कार्यालय के मोटर साईकिल/स्कूटर रखने वाले अराजपत्रित कर्मियों को।	रु० 700/- प्रतिमाह
(ब)	- मोपेड रखने वाले	रु० 300/- प्रतिमाह

24/7/15